म. प्र. बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958

1. नियम 1
2. नियम 2
3. नियम 3
4. नियम 4
5. नियम 5
6. नियम 6
7. नियम 7
8. नियम 8
9. नियम 9
10. नियम 10

- अनुसूची

म. प्र. बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958

मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग, अधिसूचना, भोपाल दिनांक 20 फरवरी, 1959. फाल्गुन 1880 क्रमाक 17/III-बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955(1955 का 32) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस विषय पर बनाए गए सभी नियमों का अतिक्रमण करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित नियमों को बनाता है-

नियम 1. इन नियमों को मध्यप्रदेश बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958 के नाम से जाना जावेगा ।

नियम 2. इन नियमों में अधिनियम से अभिप्राय बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1958 से है |

नियम 3. (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए ऐसे जिला न्यायालयों को भेजा जायेगा जिसका कि ऐसा न्यायालय अधीनस्थ हो ।

(2) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत किसी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निचली श्रेणी के फौजदारी न्यायालयों द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए ऐसे जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जावेगा जिसका ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है अथवा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में ऐसा न्यायालय स्थित है ।

(3) प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए प्रेषित आदेश के साथ सम्बन्धित जज अथवा मजिस्ट्रेट के हाथ के अन्तर्गत ऐसे तथ्यों का एक विवरण संलग्न होगा जिन्होनें उसकी राय में आदेश को आवश्यक बनाया है । जिला जज अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसी स्थिति हो, विवरण पर विचार करने के उपरान्त आदेश को प्रतिहस्ताक्षर कर सकते है, यदि वह ऐसा करना उचित समझे ।

नियम 4. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के उपखण्ड (ब) के अन्तर्गत इस आशय की उद्घोषणा की कारागार में परिरूद्ध व्यक्ति कारागार से निस्तारण के लिए अनुपयुक्त है, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे कारागार का चिकित्सा अधिकारी होगा । ऐसी उद्घोषणा इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में की जावेगी ।

नियम 5. अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अध्यधीन या उद्घोषणा, यदि कोई, नियम 4 के अन्तर्गत की गई हो, जब किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय द्वारा धारा 3 के अन्तर्गत एक आदेश पारित किया गया हो तो बन्दी ऐसे न्ययालयों को पुलिस गार्ड के भारसाधित अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा, जो उसे यात्रा के दौरान न्यायालय ले जाने तक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ऐसी यात्रा तीव्रतम मार्ग में निर्वाहित की जायेगी और रात्रि में निर्वाहित नहीं की जावेगी जब तक अत्यावश्यक न हो ।

1. अधिसूचना क्र. 14-12-96-तीन-जेल, दि. 15 जुलाई 1997 द्वारा (दिनांक 15.7.1997 से) अन्तःस्थापित । अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दि. 15-7-97 को प्रकाशित हुई

[1]**{नियम 5 क.** (1) जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 के अधीन किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेल अधीक्षक को प्राप्त हों तो और जहां रिजर्व पुलिस लाईन है, वहां रिजर्व निरीक्षक को या निकटतम थाना प्रभारी को वह एक मांग-पत्र तत्काल प्रेषित करेगा तथा ऐसे मांग-पत्र में ऐसे बंदी के नाम के साथ ही न्यायालय का नाम, जिसमें कि बन्दी को प्रस्तुत किया जाना है तथा उसको प्रस्तुत करने की तारीख व समय उल्लिखित करेगा ऐसे प्रत्येक माग-पत्र की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भी पृष्ठांकित की जावेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन मांग-पत्र प्राप्त होने पर मांग-पत्र के अनुसार पुलिस अधिकारी जेल को समुचित बल भेजेगा तथा मध्यप्रदेश पुलिस विनियम के विनियम 465-क से 479-क में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(3) जब किसी बंदी को पुलिस गार्ड के द्वारा सिविल न्यायालय में उपचार हेतु भेजा जाना हो या उसको सिविल अस्पताल से जेल वापिस लाना हो तो जेल विभाग के मांग-पत्र पर यथास्थिति रिजर्व निरीक्षक या थाना प्रभारी अविलम्ब अपेक्षित पुलिस बल उपलब्ध करवायेगा, अस्पताल में रहने की कालावधि के दौरान उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जाती रहेगी ।

नियम 6. (1) आपराधिक प्रकरणों में पुलिस गार्ड की लागत पुलिस विभाग द्वारा वहन की जावेगी और बन्दी की लागत भी पुलिस विभाग द्वारा वहन की जावेगी । दीवानी प्रकरणों में बन्दी का व्यय और वेतन एवं गार्ड के निर्धारित भत्ते एवं आवश्यक खर्च जो कि यात्रा के दौरान आवश्यक हो, सम्बन्धित कारागार के अधीक्षक को न्यायालय के जज द्वारा भेजे जायेंगे, और वह कोषालय में पुलिस विभाग अथवा जेल विभाग के नाम जमा करवायेगा, क्योंकि राशि अभिरक्षक अथवा बन्दी के लिए वसूल हुई है और ऐसे पुलिस अधीक्षक को जिसके द्वारा अभिरक्षक आपूर्ति की गई थी, सूचित करेगा ।

(2) बंदी की साक्ष्य हेतु आवश्यकता वाले पक्ष द्वारा जमा कराए जाने वाली राशि का अनुमान न्यायालय द्वारा संबंधित जेल अधीक्षक के साथ विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित प्रभारों को ध्यान में रखते हुए करेगा-

(क) अभिरक्षक का भोजन व्यय इन नियमों के साथ अनुलग्न अनुसूची में निर्धारित किए गए दरों पर ।

(ख) बन्दी का भोजन व्यय 75 पैसे प्रति बन्दी, प्रति भोजन की दर पर ।

(ग) यात्रा का वास्तविक किराया भाड़ा जिसके लिए अभिरक्षक एवं बन्दी दोनों पात्र है ।

(घ) आनुषांगिक प्रभार, रेल यात्रा के लिए, जिसके लिए यात्रा भत्ता नियम, जो अभिरक्षक के सदस्यों पर लागू हो हैं, के अन्तर्गत अभिरक्षक पात्र है ।

(ड) वेतन एवं अभिरक्षक के भत्ते उस अवधि के लिए जिसके लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता है |

(च) गार्ड की लागत का 10 प्रतिशत आकस्मिक व्यय के रूप में न्यायायल कारगार के

भारसाधक अधिकारी को अनुमान की प्रति दो प्रतियों में भेजेगा, जेल अधीक्षक एक प्रति पुलिस के जिला अधीक्षक को, जिसके द्वारा की आपूर्ति होना है, को भेजेगा ।

नियम 7. किसी बन्दी के इस राज्य से किसी अन्य राज्य में ऐसे दूसरे राज्य में स्थित न्यायालय की मांग पर स्थानांतरण की दशा में, अभिरक्षक इस राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जावेंगे । ऐसे प्रकरणों में जहां बन्दी की आवश्यकता 7 दिवस से कम की अवधि के लिए है, जिसका पूर्व नोटिस मांग करने वाले न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अभिरक्षक उस स्थान पर जहां बंदी को प्रस्तुत किया गया है. रूकेंगे और बन्दी के साथ जब उसकी न्यायालय को आवश्यकता नहीं रहेगी वापिस लौटेंगे । अभिरक्षक पर व्यय और वह व्यय जो कि बंदी के स्थानांतरण पर हो, नियम 6 के अंतर्गत इस राज्य शासन द्वारा वहन किए जावेंगे । जब मांग करने वाले न्यायालय ने ऐसी अवधि की पूर्व सूचना नहीं दी जिसके लिए ऐसे न्यायालयों को बन्दी की आवश्यकता है इस दशा में अभिरक्षक बन्दी का बन्दीगृह या लॉकअप में सुपुर्द करेंगे, जो मांग में नामित हो और ऐसे नाम के अभाव में माँग करने वाले न्यायालय के बैठने के स्थान के निकट स्थित कारागार या लॉकअप में सुपुर्द करेंगे और बंदी की सुरक्षित अभिरक्षा और ऐसे कारागार में वापिसी जहां से उसे मूलत: स्थानांतरित करने का दायित्व ऐसे राज्य शासन का होगा जिसमें माँग करने वाला न्यायालय स्थित है और रखरखाव एवं बन्दी के जेल में वापिस स्थानांतरण का व्यय ऐसे अन्य राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा ।

नियम 8. (1) दीवानी बन्दियों को साधारणत: बेड़ी हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी । बंदी को किसी न्यायालय में ले जाने से पूर्व निस्तारित करने के पूर्व कारागार का भारसाधक अधिकारी इस संबंध में स्वयं को सन्तुष्ट करेगा कि बंदी की आपूर्ति पर्याप्त वस्त्रों के साथ की गई है और यदि बंदी को बेड़ियों में ले जाना है तो उसकी बेड़ियाँ सही स्थिति में है । कारागार का भारसाधक अधिकारी अभिरक्षक के भारसाधक अधिकारी को ऐसे वारण्ट की प्रति प्रदत्त करेगा जिसके अन्तर्गत ऐसा बंदी परिरूद्ध है और ऐसे न्यायालयीन आदेश की प्रति उपलव्य करावेगा जिसके अन्तर्गत बंदी का प्रतिप्रेषण किया गया है ।

(2) जब तक बन्दी का परीक्षण कर लिया जाता है अथवा जज या न्यायालय का भारसाधक अधिकारी उसे उन कारागार में वापिस भेजने के लिए जिसमें वह परिरूद्ध था प्राधिकृत कर देता है, ऐसे समय तक, बंदी, जब वास्तव में न्यायालय में उपस्थित न हो निकट स्थित कारागार में परिरूद्ध रखा जावेगा । यदि दोषसिद्ध हो, तो उसे उस कारावास का दण्ड भुगतता हुआ माना जावेगा । यदि न्यायालय के निकट कोई कारागार स्थित न हो, तो ऐसा बंदी सुरक्षा के ऐसे स्थान एवं ऐसे गार्ड के अधीन परिरूद्ध रखा जावेगा जैसा न्यायालय का आदेश हो ।

नियम 9. (1) यदि किसी बंदी की उपस्थिति किसी दीवानी प्रकरण में आवश्यक हो, पुलिस का जिला अधीक्षक उसके द्वारा इस आशय के लिए लगाए गए अभिरक्षक की कर्त्तव्य पूर्ति पर नियम 6 के उपनियम **(2)** के अनुसार एक बिल तैयार करेगा और ऐसे न्यायालय को जिसके लिए बंदी को उपस्थित करने का आदेश पारित किया गया था, प्रस्तुत करेगा ।

(2) बिल में दर्ज प्रभार ऐसी सीमा के ऊपर जिससे वह धारा 6 के उपनियम (2) के अन्तर्गत

अनुमानित की गई राशि से अधिक हो न्यायालय द्वारा सम्बन्धित पक्ष से लिए जावेंगे ।

नियम 10. जब भी कारागार का कोई भारसाधक अधिकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) एंव (2) के अन्तर्गत किसी न्यायालय से आदेशिका प्राप्त करता है, वह, जितनी जल्दी हो सके, उसके पास जमा कराई गई आदेशिका की प्रति को ऐसे व्यक्ति को दिखाने एवं समझाने की व्यवस्था करेगा जिसके लिए ऐसी आदेशिका भेजी गई थी उस पर, आदेशिक को पृष्ठांकित करेगा एवं इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा भारसाधक कारागार में परिरूद्ध है और उसे आदेशिका समझा दी गई है और दिखा दी गई है । ऐसा प्रमाण-पत्र, आदेशिका की ऐसे व्यक्ति जो कि कारागार में परिरूद्ध है और जिसके लिए आदेशिका भेजी गई है, पर निर्वाह का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा ।

उद्घोषणा का प्ररूप
(नियम 4 देखिए)

मैं.....कारागार.....का चिकित्सा अधिकारी जिसने..... (बंदी का नाम) बुलाया । एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैने श्रीमान्.....बन्दी क्रमांक.....जो कि कारगार में निरूद्ध है का परीक्षण किया एवं पाया कि कथित श्री..... (बीमारी का नाम)..... पीड़ित है (पूर्ण विवरण दीजिए) और वह स्थान.....की यात्रा के लिए.....न्यायालय में उपस्थिति के लिए ठीक स्वस्थ अवस्था में नहीं है ।

चिकित्सा अधिकारी

अनुसूची- 'अ'
(नियम 6(2) क) देखिए)

(1) सामान्य स्थितियों में बन्दियों को सड़क मार्ग से ले जाने के लिए अभिरक्षक बल की संख्या निम्नानुसार रहेगी-

1 से 3 बन्दी	2 आरक्षक
4 से 10 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 4 आरक्षक
11 से 16 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 6 आरक्षक
17 से 24 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 8 आरक्षक
25 से 50 बन्दी	2 मुख्य आरक्षक व 12 आरक्षक

और इस प्रकार अनुपात में 1 और अधिक गार्ड जिला अधीक्षक की विवेक शक्ति के अनुसार महत्वपूर्ण बन्दियों अथवा निर्वासन का दण्ड भुगत रहे बन्दियों अथवा विशेष खतरनाक चरित्र वाले बन्दियों की दशा में लगाए जा सकेंगे ।

(2) मोटर यात्रा द्वारा भेजे जाने वाले बन्दियों की दशा में अभिरक्षक बल की संख्या निम्नानुसार रहेगी-

1 से 3 बन्दी	2 आरक्षक
4 से 6 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 2 आरक्षक
7 से 10 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 3 आरक्षक

अधिक गार्ड जिला अधीक्षक अथवा वरिष्ठ अधिकारी जो उपस्थित हो, के विवेक अनुसार विशेष खतरनाक चरित्र वाले बन्दियों की दशा में लगाये जावेंगे ।

(3) अभिरक्षक की निम्नलिखित संख्या साधारणत: रेल मार्ग से भेजे जाने वाले बन्दियों के लिये पर्याप्त रहेगी, परन्तु जिला अधीक्षक गार्ड की संख्या किसी विशेष अवसर पर, जब वह यह सोचे कि परिस्थितियों में इसकी आवश्कयता है, बढा सकते हैं-

आजीवन कारावास वाले बन्दियों के लिए

1 से 3 बन्दी	2 आरक्षक
4 से 6 बन्दी	3 आरक्षक
7 से 10 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 4 आरक्षक
11 से 20 बन्दी	1 मुख्य आरक्षक व 6 आरक्षक
21 से 40 बन्दी	2 मुख्य आरक्षक व 8 आरक्षक

नोट- जब 8 व्यक्तियों से अधिक की अभिरक्षक बल आवश्यक समझी जाये अनुपात में मुख्य आरक्षक उपलब्ध कराये जावें ।

(4) अभिरक्षक बल के लिए भोजन व्यय निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराए जावेंगे-

1 मुख्य आरक्षक	1 - 50 पैसे प्रति भोजन
1 आरक्षक	-75 पैसे प्रति भोजन